

Form-III
फर्द अहकाम

अज्ञ अदालत :- उपखण्ड अधिकारी गढी

जिला बांसवाड़ा

सोहनलाल पिनर माण्डु खारि
श्रीधर विपारी काशीतलारि
किस्म मुकदमा :-

बनाम

शंकरलाल पिनर माण्डु खारि
राजेश्वर विपारी काशीतलारि

प्रकरण संख्या 13/18

धारा 212 RTA

हुकम या कार्यवाही मय ईनिशियल जज

तारीख
हुकम

नम्बर
तारीख
अहकाम
इस हुकम
की ताम
में जा
हुए

28/11/18

पत्रावली बाद जांच दर्ज रजिस्टर होकर पेश हुई। वादी सोहनलाल
पिता माण्डु खारि जाति काशीतलारि निवासी काशीतलारि
ने अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत
प्रतिवादी शंकरलाल पिता माण्डु खारि निवासी काशीतलारि
के विरुद्ध शर्त/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया। प्रतिवादी के नाम सम्मन जारी होकर
पत्रावली दिनांक 30/11/18 को पेश हो।

उपखण्ड अधिकारी
गढी, जिला बांसवाड़ा

29.10.18

पत्रावली प्राप्त पेश हुई। अज्ञ अदालत/गढी
P.O. साबरमती नगर जिला बांसवाड़ा के माध्यम से पत्रावली जारी
जवाब दिनांक 17.1.19 को पेश की गई।

17.1.19

पत्रावली पेश हुई। अज्ञ अदालत/गढी। प्रजापति
अज्ञ अदालत के जवाब पेश किए गए। प्रजापति
जवाब पत्रावली जारी जवाब दिनांक 31.1.19 को
पेश की गई।

6.2.19

पत्रावली प्राप्त पेश हुई। अज्ञ अदालत/गढी। प्रजापति
अज्ञ अदालत द्वारा जवाब पेश किया गया। जवाब प्रजापति
अज्ञ अदालत को दिनांक 25.2.19 को पेश की गई। प्रजापति जारी जवाब दिनांक
25.2.19 को पेश की गई।

15.2.19

पत्रावली पेश हुई। अज्ञ अदालत/गढी। प्रजापति के
जवाब पत्रावली जारी जवाब दिनांक 15.2.19 को पेश की गई।